	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जो इस हुक्म ... तामील में जारी हुए
27.6.24	पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2075–2078 राजस्व ग्राम भगोट पटवार हल्का भगेगा तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 581, 582, 583, 584, 585 कुल किता 05 कुल रकबा 3.41 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।	

आदेश

प्रा0 पत्र 439/2022

निर्णय दिनांक 27.06.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम भगोट पटवार हल्का भगेगा तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 581, 582, 583, 584, 585 कुल किता 05 कुल रकबा 3.41 हैक्ट0 की प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2022 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:46:04 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner